न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 31/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00173

उनवान

सरोज देवी पत्नी सुरेश जाति कुशवाह निवासी बसईनवाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
.....अपीलाण्ट

बनाम

1. चित्र सिंह पुत्र भवानी सिंह } जातिगण कुशवाह निवासीगण बसईनवाव तह0 सैपऊ।
2. महादेवी पत्नी चित्र सिंह }
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसईनवाव जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.05.2016 प्रकरण संख्या 101/2015 उनवान चित्र सिंह बनाम सरोज देवी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ।

उपस्थित :–

1. श्री सन्दीप शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. श्री देवी सिंह अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक :–08.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 487 रकवा 02 बीघा 02 विस्वा वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील सैपऊ वादी/रैस्पो0 एवं प्रतिवादी/अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है एवं सभी पक्षकार आपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। विवादित भूमि का अभी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष पर सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना किसी सूचना व सम्यक

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

रूप से तामील कराये बिना अपीलाण्ट की बैक पर पारित किया है। अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से अपीलाण्ट को नहीं दी गयी है एवं ना ही उन्हें कोई सुनवाई का मौका ही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से साफ जाहिर है कि प्रकरण वास्ते तलवी प्रतिवादीगण में अग्रिम पेशी दिनांक 09.06.2016 को नियत थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय नियत पेशी दिनांक 09.06.2016 से पूर्व ही दिनांक 26.05.2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2016–17 पेज 566 का उद्धरण पेश किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप है। अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट अंकित है कि प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील हो चुकी थी एवं वह बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आयी थी। अतः उनका यह कथन कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला सारपूर्ण नहीं है। विवादित आराजीयात में पक्षकार सहखातेदार हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने दावा प्राथमिक डिक्री किया है। प्राथमिक डिक्री करने पर उन्हें क्या आपत्ति है, स्पष्ट नहीं किया है। केवल तकनीकी बिन्दु पर ही बहस की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय निर्णित किया गया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 17.03.2016 तक प्रतिवादी/अपीलाण्ट की तलवी हेतु नियत था एवं पेशी दिनांक 17.03.2016 को प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 09.06.2016 वास्ते तलवी प्रतिवादी/अपीलाण्ट नियत की गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नियत पेशी दिनांक 09.06.2016 से पूर्व ही दिनांक 26.05.2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर मात्र वादी/रैस्पो0 की उपस्थिति में दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया। उक्त आदेशिका में प्रतिवादी/अपीलाण्ट की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है एवं ना ही राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत् कोई नोटिस ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अतः स्पष्ट है अपीलाधीन आदेश प्रतिवादी/अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सहमति/राजीनामा भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि पक्षकारों की सहमति से प्रकरण राजस्व लोक अदालत में वास्ते निर्णय हेतु रखा जाकर निर्णित किया गया हो। राजस्थान सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा दिये जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं अधीनस्थ न्यायालय ने तो हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत में एकपक्षीय रूप से बिना सहमति के निस्तारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

कर दिया। जिसे विधिक रूप से न्यायसम्मत नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ का आदेश दिनांक 26.05.2016 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये, पुनः तार्किक एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.12.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08-11-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर